108

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला–रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

R 5023-II/16

1. धनपति साहू तनय शोभई साहू
2. सुमेश्वर साहू तनय लक्ष्मण साहू
3. मुस0 वेवा पार्वती पत्नी स्व0 अगनू साहू

उपरोक्त तीनों निवासी ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम

रामचरण तनय लोलवा साहू निवासी ग्राम पल्हान तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———गैर निगरानीकर्ता

श्री अनिरुद्ध कुमार पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 15-01-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 8अ5/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2011।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सिरमौर वृत्त सिरमौर के द्वारा रा0प्र0क्रं0 8अ5/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2011 विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

धनपति साहू

नि.अ. सुमेश्वर साहू

नि.अ. मु. पार्वती साहू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5023–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9/3/18	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 8 अ–5/10–11 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर ने आदेश दिनांक 3–1–2011 से ग्राम पल्हान की भूमि सर्वे क्रमांक 641/1 एंव 641/2 का नक्शा तरमीम किया है, जो म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है । इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित	

प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य